

## GOVERNMENT OF INDIA CABINET SECRETARIAT NATIONAL AUTHORITY CHEMICAL WEAPONS CONVENTION

(1st Floor, Chanakya Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi – 110021)

## PUBLIC NOTICE

The requirement to submit Declarations to the National Authority Chemical Weapons Convention (NACWC) is mandated under section 12 of the Chemical Weapons Convention (CWC) Act, 2000.

- In exercise of extant provisions of the CWC Act, 2000, it is notified that all persons and the facilities dealing with the chemicals belonging to Schedule-I, Schedule-2, Schedule-3 and Other Chemical Production Facilities (OCPFs), liable to file Annual Declaration on Past Activities (ADPA), are to file the same, on or before 31st January, 2022. The notice is also given to those who, have previously filed ADPA for the calendar year 2020 and Annual Declaration of Anticipated Activities (ADAA) for the calendar year 2022, for filing their ADPA for the calendar year 2021 before the due date.
- The ADPA for chemical facilities, having activities in respect of Schedule-I Chemicals, should be filed in hard copy to the NACWC.
- The ADPA in respect of Schedule-2, Schedule-3 and OCPFs, including Traders (Importers/Exporters) of Schedule-2 and Schedule-3 chemicals, need to be filed electronically by the respective chemical facilities, using authenticated Digital Signature Certificate (DSC)/e-sign through NACWC URL https://cwc.nacwc.nic.in (https://cwc(dot)nacwc(dot)nic(dot)in). The online window for filing ADPA shall remain open from 1100 hrs, of 1st January, 2022 till 1800 hrs, of 31st January 2022.
- 5. Failure to furnish correct and complete information within the time limit is a punishable offence under the CWC Act, 2000.
- All necessary information and related links, etc. are available on the website of NACWC (www.nacwc.nic.in). Clarifications, if any, can also be sought either by Telephone (011-24675694/24675690/24675465/24675527), Fax (011-24675767) or through email (efilehelp.nacwc@nic.in or nacwc@nic.in).

Dr. Sudhanshu Gupta Director, NACWC & Joint Secretary to the Government of India

davp 58101/11/0017/2122



Fri. 31 December 2021

The Tribune https://epaper.tribuneindia.com/c/65302347





## भारत सरकार कैबिनेट सचिवालय

राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता ( 1 तल, चाणक्य भवन, चाणक्य पुरी, नई दिल्ली-110021 )

## सार्वजनिक सूचना

रासायनिक इथियार समझौता (EWC) अधिनियम, 2000 की भार 12 के तहत राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक इथियार समझौता (NACWC) को घोषणाएं प्रस्तृत करने की आवश्यकता अनिवार्य है।

2. सीडब्ल्यूनी अधिनियम, 2000 के मीजूदा प्रावधानों का प्रयोग करते हुए, यह अधिसृचित किया जाता है कि पिछली गतिविधियों पर वार्षिक ओषणा (ADPA) दाखिल करने के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्ति और अनुसूची-1, अनुसूची-2, अनुसूची-3 से संबंधित रसायनों से सम्बन्धित नृजिबाओं और अन्य रासायनिक तत्यादन सृजिधाओं (OCPFs) को 31 जनकारी, 2022 की वा उससे पहले दाखिल करना होगा। नोटिस उन लोगों को भी दिया जाता है, जिन्होंने नियत तारीख से पहले कैलेंबर वर्ष 2021 के लिए अपना एडीपीए दाखिल करने के लिए पहले हो कैलेंडर वर्ष 2020 और कैलेंबर वर्ष 2022 के लिए प्रत्यशित गतिविधियों के वार्षिक घोषणावत्र (ADAA) के लिए एडीपीए टाखिल किया है।

3. रासायनिक सुविधाओं के लिए एडोपोए, जिसमें अनुसूची-१ रसायनों के संबंध में गतिविधियां हैं, एनएसोडब्ल्यूसी को

हार्ड कॉपी में दाखिल की जानी चाहिए।

 अनुसूची 2 के व्यापारियों (आयातकों/निर्यातकों) और अनुसूची 3 स्मायनों सहित अनुसूची 2, अनुसूची 3 और ओसीपीएफ के संबंध में एडीपीए, प्रमाणित डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (OSC) का उपयोग करके/एनएसीडब्ल्यूसी प्रअरएल: https://owc.nacwc.nic.in(https://cwc[dot]nacwc[dot]nic[dot]in) के माध्यम से ई-साइन करके अंबीधत रासायनिक सुविधाओं द्वारा एलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने की आवश्यकता है। एडीपीए दाखिल करने के लिए ऑनलाइन विंडो 1 जनवरी, 2022 को 1100 बजे से 31 जनवरी 2022 को 1800 बजे तक खुली रहेगी।

. समय सीमा के भीतर सही और पूरी जानकारों प्रस्तुत करने में विफलता सीडब्ल्यूसी अधिनियम, 2000 के तहत एक

दंडनीय अपराध है।

6. सभी आवश्यक ज्वाकारी और संबंधित लिंक आदि एनएसीडब्ल्यूसी को वेबसग्रट (www.nacwc.nic.in) पर उपलब्ध हैं। स्पप्टोक्स्प, यदि कोई हो, टेलीफोन (011-24675694/24675690/24675465/24675527), फैक्स (011-24575757) द्वारा या ई-मेल (efilehelp.nacwc@nic.in या nacwc@nic.in) के माध्यम से भी मांगा जा सकता

No. M-18012/1/2021-TECH

डॉ. सुधांशु गुप्ता निदेशक, एनएसीडब्ल्यूसी और संयुक्त सन्निव-भारत सरकार

डीएवीपी 58101/11/0017/2122